

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र सड़ा

प्रकरण सं.:-191/17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

564

दिनांक:-15.7.17

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोलिया जीवराज व भू.अ.नि. सड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लोलावा व मोखरिया नाड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लोलावा	26,25, 116	84,149 / 1 24,25,	गोबराराम पुत्र	भेराराम पुत्र लिछमणाराम <u>शेष बदुस्तर</u>
2.	मोखरिया नाड़ा	7,8,	190,194, 211,	लिक्षमणाराम	

*गिरी*  
15/7/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर,सिणधरी

दिनांक:- 15.7.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

565-67

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- 2.प्रार्थी श्री भेराराम पुत्र लिछमणाराम जाति प्रजापत निवासी लोलावा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- 3.रक्षित पत्रावली।

*गिरी*  
15/7/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर,सिणधरी